

छत्तीसगढ़ विधान सभा  
(चतुर्थ)



खण्ड - 5

जुलाई, 2015 सत्र

के

प्रश्नों के पूर्ण उत्तर

(दिनांक 17 दिसम्बर, 2015 को सदन में प्रस्तुत )



(एक)

## प्रस्तावना

छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के अध्याय-7 “प्रश्न” में नियम क्रमांक 28 से नियम क्रमांक 50 तक सभा में माननीय सदस्यों द्वारा प्रश्न पूछने की सम्पूर्ण प्रक्रिया, ग्राह्यता की शर्तें और सभा में प्रश्नकाल की प्रक्रिया के संबंध में प्रावधान उल्लेखित किए गए हैं.

प्रश्नकाल सभा का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है. इसलिए सैद्धांतिक रूप से यह भी स्थापित हो चुका है कि प्रश्नकाल को स्थगित नहीं किया जाता. इसके साथ ही जब एक बार प्रश्न अध्यक्ष के द्वारा ग्राह्य कर लिया जाता है, तब शासन के लिए उस प्रश्न का उत्तर दिया जाना बंधनकारी होता है. अपवादस्वरूप कभी-कभी ऐसी स्थितियां हो सकती हैं कि शासन के लिए यह संभव न हो कि वह निर्धारित अवधि में प्रश्न का उत्तर उपलब्ध कराए. ऐसी परिस्थिति में भी शासन के संबंधित विभाग को यह तो सूचित करना ही पड़ता है कि - “जानकारी एकत्रित की जा रही है”.

इस संकलन में जुलाई, 2015 सत्र की बैठकों की प्रश्नोत्तर सूचियों में मुद्रित अपूर्ण उत्तरों का संबंधित विभागों द्वारा प्रेषित पूर्ण उत्तरों तथा पुनरीक्षित उत्तरों को मुद्रित कराया गया है.

शासन द्वारा पूर्व में दी गयी जानकारी बड़े कोष्ठक [.....] के अंदर मुद्रित है. इस संकलन में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, स्कूल शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, खेल एवं युवा कल्याण, संस्कृति तथा वित्त विभाग के प्रश्न तथा यथासमय विभागों से प्राप्त प्रश्नों के उत्तर में संशोधन एवं प्रश्नोत्तर सूची के शुद्धि पत्रों की सूची सम्मिलित किए गए हैं.

रायपुर,  
दिनांक : 07 दिसम्बर, 2015.

देवेन्द्र वर्मा,  
प्रमुख सचिव.



(दो)

### विषय सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	जुलाई, 2015 सत्र से संबंधित प्रश्नोत्तर	1 से 3 तक
2.	जुलाई, 2015 सत्र के प्रश्नोत्तरों से संबंधित परिशिष्ट	4 से 20 तक
3.	जुलाई, 2015 सत्र में प्राप्त प्रश्नों के उत्तर में संशोधन तथा प्रश्नोत्तर सूची से संबंधित शुद्धि पत्रों की सूची.	21 से 40 तक



# छत्तीसगढ़ विधान सभा

जुलाई, 2015 सत्र के प्रश्नों के पूर्ण उत्तर

खण्ड-5

## राशन कार्डों की संख्या तथा निरस्तीकरण

01. (क्र. 59) श्री मोतीलाल देवांगन : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अगस्त तथा सितंबर 2013 में राशन कार्डों की संख्या कितनी-कितनी थी ? राज्य में परिवारों की संख्या कितनी है ? (ख) जनवरी 2014 से 03-06-2015 तक निरस्त किए राशन कार्डों की माहवार, जिलेवार कितनी थी ? (ग) अपात्रों को राशनकार्ड जारी करने के लिए कौन-कौन उत्तरदायी है ? निरस्त किए गए राशन कार्डों पर निरस्त करने से पहले वितरित किए गए खाद्यान्नादि के कारण राजकोष पर कितना-कितना आर्थिक भार पड़ा है ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : [(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है.] (क) राज्य में अगस्त, 2013 में 54.80 लाख राशनकार्ड तथा सितंबर, 2013 में 70.66 लाख राशनकार्ड प्रचलित थे. जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश में परिवारों की संख्या 56,22,850 है. (ख) जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” एवं “ब” अनुसार है. (ग) राशनकार्ड जारी करने की अनुशंसा हेतु सत्यापन दल को अधिकृत किया गया था. सत्यापन दल का गठन जिला प्रशासन द्वारा किया गया. सत्यापन दल की अनुशंसा के आधार पर राशनकार्ड जारी किया गया. निरस्त किए गए राशनकार्ड पर कुल 3.72 लाख टन खाद्यान्न का वितरण अनुमानित है. निरस्त राशनकार्डधारियों द्वारा उठाव किए गए खाद्यान्न खरीफ वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 का है. भारत शासन से इन वर्षों के अंतिम इकानामिक कॉस्ट का निर्धारण नहीं हुआ है. अतः राज्य शासन पर आर्थिक व्ययभार की गणना किया जाना संभव नहीं है.

## प्रदेश में अतिशेष शिक्षकों की संख्या

02. (क्र. 152) श्री भैयाराम सिन्हा : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिक्षा सत्र 2014-15 में प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शालाओं में आर.टी.ई. के मापदंड के अनुसार कितने शिक्षकों की आवश्यकता थी ? जिलेवार जानकारी दें ? (ख) शिक्षा सत्र 2014-15 में प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शालाओं में संकायवार एवं शिक्षक संवर्गवार अतिशेष शिक्षकों की संख्या कितनी थी ? जिलेवार जानकारी प्रदान करें.

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : [(क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है.] (क) शिक्षा सत्र 2014-15 में प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शालाओं में आर.टी.ई. के मापदंड के अनुसार रिक्त पदों पर क्रमशः 4827 एवं 7598 शिक्षकों की आवश्यकता थी जिलेवार जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “अ” एवं “ब” में है. (ख) शिक्षा सत्र 2014-15 में प्रदेश के प्राथमिक शालाओं में अतिशेष शिक्षकों की जिलेवार जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “स” में है. उच्च प्राथमिक शालाओं में संकायवार एवं शिक्षक संवर्गवार अतिशेष शिक्षकों की जिलेवार जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “द” में है.

## डौण्डीलोहारा विधान सभा क्षेत्र में आंगनबाड़ी में सामग्री क्रय हेतु प्राप्त राशि

03. (क्र. 196) श्रीमती अनिला भेंडिया : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) डौण्डीलोहारा विधान सभा क्षेत्र में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं ? वर्ष 2013-2014 से 2015-2016 तक आंगनबाड़ी केन्द्र में सामग्री पूर्ति के लिये कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई है ? (ख) आंगनबाड़ी केन्द्र के लिये क्या-क्या सामग्री कितनी मात्रा में क्रय की गई है ? (ग) कितने आंगनबाड़ी केन्द्रों में सामग्री प्रदाय की गयी ? कितने में प्रदाय किया जाना शेष है ? कब तक प्रदाय की जावेगी ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती रमशीला साहू) : [(क) डौण्डीलोहारा विधान सभा क्षेत्र में 563 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं. आंगनबाड़ी केन्द्रों में सामग्री पूर्ति के लिये प्रावधानित राशि की जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” अनुसार है. (ख) एवं (ग) जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” अनुसार है.] (क) डौण्डीलोहारा विधानसभा क्षेत्र में 563 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं. आंगनबाड़ी केन्द्रों में सामग्री पूर्ति के लिए प्रावधानित राशि की जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” अनुसार है. (ख) एवं (ग) जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” के अनुसार है. [ पुनरीक्षित उत्तर ]

प्रदेश के उ. प्रा. शाला/मा. शाला में विद्युतीकरण

04. (क्र. 267) श्री मोहन मरकाम : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कुल कितने उ.प्रा. शाला/मा. शाला संचालित है ? कितनी शालाएं विद्युतविहीन है ? विभागवार, जिलेवार जानकारी दी जाए. (ख) कंडिका "क" के अनुसार माध्यमिक शालाओं में विद्युतीकरण कब तक कर लिया जायेगा ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : [(क) प्रदेश में कुल 13864 उ.प्रा. शाला एवं 1893 मा. शाला संचालित है. 3816 उ.प्रा. शाला एवं 117 मा. शाला विद्युतविहीन है. जिलेवार जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट में है. (ख) निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.] (क) प्रदेश में कुल 13156 उ.प्रा. शाला एवं 1800 मा. शाला (हाई स्कूल) संचालित है. 3816 उ.प्रा. शाला एवं 117 मा. शाला (हाई स्कूल) विद्युतविहीन है. संचालित शाला स्कूल शिक्षा विभाग की है. जिलेवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में है. (ख) कंडिका "क" के संबंध में विद्युतविहीन शालाओं में विद्युतीकरण करने हेतु निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है. [ पुनरीक्षित उत्तर ]

जिला महासमुंद में खेल मैदान/मिनी स्टेडियम की स्वीकृति

05. (क्र. 301) श्री रामलाल चौहान : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला महासमुंद में वर्ष 2013-14 में कहां-कहां पर खेल मैदान/मिनी स्टेडियम की स्वीकृति प्रदान की गई है ? (ख) प्रश्नांक "क" के तहत स्वीकृत कार्यों में से कहां-कहां के कार्य प्रारंभ हुए तथा कौन-कौन से नहीं हुए ? (ग) उपरोक्त मिनी स्टेडियम की निर्माण एजेंसी कौन-कौन है तथा संबंधित को कितना-कितना भुगतान किया गया है ?

श्रम मंत्री (श्री भईयालाल राजवाड़े) : [(क) प्रश्न में उल्लेखित अवधि के अंतर्गत कोई स्वीकृति जारी नहीं की गई है. अतः जानकारी निरंक है. (ख) एवं (ग) प्रश्नांक "क" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है.] (क) ग्राम पंचायत शेर, खट्टा, पासिद, झारा, बन्दोरा, गोपालपुर, सिंघौरी, चिगरीद, पचरी, पथरी, बेलसोंडा, सुकुलवाय, मुदेना, अछरीडीह, लाफिनखुर्द, लाफिनकला में खेल मैदान तथा हाईस्कूल मैदान सरायपाली में मिनी स्टेडियम की स्वीकृति प्रदान की गई हैं. (ख) सभी कार्य प्रारंभ हुए हैं. (ग) उपरोक्त मिनी स्टेडियम की निर्माण एजेंसी नगरपालिका परिषद् सरायपाली हैं तथा संबंधितों को रुपये 18.10 लाख का भुगतान किया गया है. [ पुनरीक्षित उत्तर ]

प्रदेश में आयोजित होने वाले महोत्सवों पर व्यय राशि

06. (क्र. 387) श्रीमती देवती कर्मा : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कौन-कौन से महोत्सव कब-कब, कहां-कहां आयोजित किये जाते हैं ? (ख) इन महोत्सवों हेतु सरकार द्वारा वर्ष 2014-2015 में कितनी राशि स्वीकृत की गई है ? (ग) क्या वर्ष 2013, 2014 में शासन को किसी उत्सव, आयोजन के संचालकों, आयोजन समिति के द्वारा खर्च में गड़बड़ी की कोई शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां तो, किस जिले से तथा किस महोत्सव, संस्था की ? (घ) शिकायत प्राप्त होने के उपरांत क्या कार्यवाही हुई तथा क्या इस वर्ष पुनः उसी आयोजन हेतु उसी समिति, आयोजकों को राशि स्वीकृत कर दी गई है ? यदि हां तो, क्यों ?

सहकारिता मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : [(क) जानकारी † संलग्न प्रपत्र "अ" में है. (ख) जानकारी † संलग्न प्रपत्र "ब" में है. (ग) वर्ष 2013, 2014 में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है. (घ) प्रश्न उद्भूत नहीं होता.] (क) प्रदेश में आयोजित होने वाले महोत्सव की संस्कृति विभाग से संबंधित जानकारी †† संलग्न प्रपत्र "अ" में तथा पर्यटन विभाग से संबंधित जानकारी †† संलग्न प्रपत्र "ब" है. (ख) इन महोत्सवों हेतु वर्ष 2014-15 में संस्कृति विभाग द्वारा स्वीकृत की गई राशि की जानकारी †† संलग्न प्रपत्र "स" में पर्यटन विभाग द्वारा स्वीकृत की गई राशि की जानकारी †† संलग्न प्रपत्र "द" में तथा धर्मस्व विभाग द्वारा स्वीकृत की गई राशि की जानकारी †† संलग्न प्रपत्र "ई" में है. (ग) वर्ष 2013, 2014 में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है. (घ) प्रश्न उद्भूत नहीं होता. [ पुनरीक्षित उत्तर ]

सूरजपुर जिला में विभिन्न बीमा योजना के तहत राशि का भुगतान

07. (क्र. 1151) श्री पारसनाथ राजवाड़े : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि सूरजपुर जिले में वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में महिला बीमा योजना, दुर्घटना बीमा योजना और सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत पूरे जिले में कितनी राशि का भुगतान किया गया और कितना शेष है ? विकासखण्डवार जानकारी देने का कष्ट करें.

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : [“जानकारी एकत्रित की जा रही है.”] वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में महिला बीमा योजना व दुर्घटना बीमा योजना बैंकों तथा भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा संचालित न होने के कारण जानकारी निरंक है. भारतीय जीवन बीमा निगम से प्राप्त जानकारी अनुसार सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत तेन्दू पत्ता संग्राहक के लिये सामाजिक सुरक्षा योजना लघु वनोपज समिति के माध्यम से संचालित होती है, जिसके तहत सूरजपुर जिले में वर्षवार भुगतान की गयी विकासखण्डवार राशि निम्नानुसार है :-

क्रमांक	विकासखण्ड का नाम	भुगतान की गयी राशि	
		वर्ष 2013-14	वर्ष 2014-15
1	सूरजपुर	-	2,10,000.00
2	भैयाथान	-	90,000.00
3	ओड़गी	2,13,600.00	2,55,000.00
4	प्रतापपुर	14,37,600.00	5,10,000.00
5	प्रेमनगर	-	6,60,000.00
6	रामानुजनगर	-	60,000.00
	<b>योग</b>	<b>16,51,200.00</b>	<b>17,85,000.00</b>

उपरोक्त के संदर्भ में भुगतान हेतु कोई भी राशि शेष नहीं है.

## जुलाई, 2015 सत्र के प्रश्नोत्तरों से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट "एक"

[ प्रश्न संख्या 01 (क्रमांक 59) के भाग (ख) की जानकारी ]

प्रपत्र "अ"

वर्ष 2015 में माहवार, जिलेवार निरस्त राशनकार्डों की जानकारी

क्रमांक	जिला	जनवरी, 15	फरवरी, 15	मार्च, 15	अप्रैल, 15	मई, 15	जून, 15
1	सुरजपुर	208	83	596	26	64	75
2	बलरामपुर	3301	150	252	114	18841	173
3	सरगुजा	2672	72	455	71	49	15
4	बिलासपुर	15076	169	666	207	432	83
5	रायगढ़	4048	2571	889	71	180	205
6	राजनांदगांव	31279	6672	30598	470	90	141
7	दुर्ग	2903	9549	404	1168	300	534
8	रायपुर	23	230	14277	163	641	222
9	बस्तर	313	3	186	182	79	21
10	नारायणपुर	1228	16	38	26	27	6
11	सुकमा	208	288	95	249	134	0
12	कोंडागांव	3838	19	49	0	183	50
13	बालोद	13	425	10	7	2	3
14	बेमेतरा	7895	41	138	76	115	53
15	गरियाबंद	12	42	177	93	43	18
16	बलौदा बाजार	20494	6	0	135	423	8451
17	कोरिया	28	91	118	81	365	91
18	जांजगीर-चाम्पा	9118	61	851	1018	638	54
19	कोरबा	106	40	456	120	49	37
20	जशपुर	1837	92	57	615	47	8
21	कवर्धा	7002	13	70	332	460	937
22	महासमुंद	3277	8	421	100	44	9
23	धमतरी	46	163	306	203	309	209
24	कांकेर	10336	556	559	611	199	212
25	दन्तेवाड़ा	1893	0	0	386	724	185
26	बीजापुर	2122	61	8	18	48	0
27	मुंगेली	737	84	294	703	245	29
	<b>योग</b>	<b>130013</b>	<b>21505</b>	<b>51970</b>	<b>7245</b>	<b>24731</b>	<b>11821</b>

वर्ष 2014 में माहवार निरस्त राशनकार्डों की जानकारी

(5)

[ जुलाई, 2015

क्रमांक	जिला	जनवरी, 14	फरवरी, 14	मार्च, 14	अप्रैल, 14	मई, 14	जून, 14	जुलाई, 14	अगस्त, 14	सितंबर, 14	अक्टूबर, 14	नवंबर, 14	दिसंबर, 14
1	सुरजपुर	390	41	1727	93	67	2	0	24	52	73	108	5849
2	बलरामपुर	302	263	128	121	593	0	0	0	36	34	13	181
3	सरगुजा	1795	255	57	154	1892	52	0	45	93	84	640	8958
4	बिलासपुर	1335	763	450	830	5228	336	0	2	273	74	66	14454
5	रायगढ़	977	1143	211	335	9817	0	0	23	4644	127	19253	1275
6	राजनांदगांव	2135	1338	84	133	1512	149	0	54	295	3144	6872	5775
7	दुर्ग	2376	2904	1873	362	2030	192	0	255	4721	308	2584	42071
8	रायपुर	866	1329	290	719	1749	116	0	22	152	126	180	37707
9	बस्तर	2456	236	77	197	438	37	0	68	5796	6517	367	38836
10	नारायणपुर	35	9	13	1	22	0	0	0	40	9	10	402
11	सुकमा	53	47	20	30	44	1	0	0	0	14	32	1770
12	कोडागांव	137	58	1137	109	34	0	0	17	78	3	60	10
13	बालोद	152	82	127		158	0	0	56	342	227	22766	9089
14	बेमेतरा	421	245	363	266	105	56	0	47	66	2415	23008	1526
15	गरियाबंद	490	180	428	43	118	25	0	0	2379	458	10974	5
16	बलोदा बाजार	111	367	171	475	287	1	0	0	0	77	231	14289
17	कोरिया	1619	3163	5874	2442	6415	3443	0	53	22793	134	58	212
18	जांजगीर-चाम्पा	132	7195	627	49	307	8	0	15	5	54	123	5289
19	कोरबा	4038	1213	194	43	714	4	0	93	35171	245	242	10127
20	जशपुर	1065	798	259	2251	460	0	0	181	1887	6	6847	21511
21	कवधी	148	590	202	110	577	17	0	6	87	43	1112	5
22	महासमुंद	620	59	91	139	22	2	0	54	531	277	19	9591
23	धमतरी	92	340	315	134	791	88	0	6078	23083	42	2661	46
24	कांकर	199	121	90	598	932	0	0	1	26	12	44	20
25	दन्तेवाड़ा	6	2	115	17	0	0	0	0	119	0	0	2
26	बीजापुर	491	455	106	40	198	33	0	983	1606	728	363	2768
27	मुंगेली	517	463	409	468	940	63	0	13	536	2710	3586	6771
	योग	22958	23659	15438	10159	35450	4625	0	8090	104811	17941	102219	238539

## परिशिष्ट "दो"

[ प्रश्न संख्या 02 (क्रमांक 152) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी ]

## प्रपत्र "अ"

## प्राथमिक शाला में शिक्षकों की आवश्यकता

स.क्र.	जिले का नाम	आर.टी.ई.के माप दण्ड अनुसार रिक्त पदों पर आवश्यकता
1	2	3
1	रायपुर	383
2	गरियाबंद	6
3	बलौदाबाजार	291
4	महासमुन्द	142
5	धमतरी	-292
6	दुर्ग	134
7	बालोद	-288
8	बेमेतरा	175
9	कबीरघाम	609
10	राजनांदगांव	1616
11	बिलासपुर	554
12	मुंगेली	217
13	कोरबा	1199
14	जांजगीर चांपा	-715
15	रायगढ़	-647
16	जशपुर	-45
17	सरगुजा	351
18	भदरामपुर	-339
19	सूरजपुर	56
20	कोरिया	1078
21	कांकेर	-486
22	बस्तर	0
23	कोण्डागांव	499
24	नारायणपुर	130
25	दत्तेवाड़ा	350
26	सुकमा	-40
27	बीजापुर	-111
	योग	4827

## प्रपत्र "ब"

## पूर्व माध्यमिक शाला में शिक्षकों की आवश्यकता

स.क्र.	जिले का नाम	आर.टी.ई.के माप दण्ड अनुसार रिक्त पदों पर आवश्यकता
1	2	3
1	रायपुर	384
2	गरियाबंद	519
3	दलौदाबाजार	876
4	महासमुन्द	880
5	धमतरी	360
6	दुर्ग	236
7	बालोद	95
8	बेमेतरा	488
9	कबीरधाम	581
10	राजनांदगांव	1216
11	बिलासपुर	564
12	मुंगेली	523
13	कोरबा	194
14	जांजगीर चांपा	214
15	रायगढ़	598
16	जशपुर	0
17	सरगुजा	133
18	बलरामपुर	433
19	सूरजपुर	726
20	कोरिया	482
21	कांकेर	16
22	बस्तर	0
23	कोण्डागांव	764
24	नारायणपुर	249
25	दंतेवाड़ा	72
26	सुकमा	764
27	बीजापुर	0
	योग	7598

## प्रपत्र "स"

## प्राथमिक शाला में अतिशेष की संख्या

स.क्र.	जिले का नाम	अतिशेष सहा.शिक्षकों/सह.शि. पंचायत संवर्ग की संख्या
1	2	3
1	रायपुर	0
2	गरियाबंद	0
3	बलौदाबाजार	0
4	महासमुन्द	0
5	धमतरी	292
6	दुर्ग	0
7	बालोद	288
8	बेमेतरा	0
9	कबीरधाम	0
10	राजनांदगांव	0
11	बिलासपुर	0
12	मुंगेली	0
13	कोरबा	0
14	जांजगीर चांपा	715
15	रायगढ़	647
16	जशपुर	45
17	सरगुजा	0
18	बलरामपुर	339
19	सूरजपुर	0
20	कोरिया	0
21	कांकेर	486
22	बस्तर	0
23	कोण्डागांव	0
24	नारायणपुर	0
25	दत्तेवाड़ा	0
26	सुकमा	40
27	बीजापुर	111
	योग	2963

## प्रपत्र "द"

## पूर्व माध्यमिक शाला में अतिशेष की संख्या

स.क्र.	जिले का नाम	अतिशेष शिक्षक/शिक्षक पंचायत संवर्ग की संख्या
1	2	3
1	रायपुर	0
2	गरियाबंद	0
3	बलौदाबाजार	0
4	महासमुन्द	0
5	धमतरी	0
6	दुर्ग	0
7	बालोद	0
8	बेमेतरा	0
9	कबीरघाम	0
10	राजनांदगांव	0
11	बिलासपुर	0
12	मुंगेली	0
13	कोरबा	0
14	जाजगीर चांपा	0
15	रायगढ़	0
16	जशपुर	0
17	सरगुजा	0
18	बलरामपुर	0
19	सूरजपुर	0
20	कोरिया	0
21	कांकेर	0
22	बस्तर	0
23	कोण्डागांव	0
24	नारायणपुर	0
25	दंतेवाड़ा	0
26	सुकमा	0
27	बीजापुर	0
	योग	0

## परिशिष्ट "तीन"

[ प्रश्न संख्या 03 (क्रमांक 196) के भाग (क), (ख) एवं (ग) की जानकारी ]

## प्रपत्र "अ"

क्र.	सामग्री का नाम	प्रति आंगनबाड़ी केन्द्र प्रावधानित राशि	विशेष अभियुक्ति
1	2	3	4
1	फर्नीचर एवं उपकरण भारत शासन के प्रावधान अनुसार	7000/- रु. प्रति आंगनबाड़ी केन्द्र	प्रदेश के 25 प्रतिशत आंगनबाड़ी केन्द्रों में चकानुकम में प्रतिवर्ष
2	फर्नीचर एवं उपकरण राज्य शासन के प्रावधान अनुसार	10000/- रु. प्रति आंगनबाड़ी केन्द्र	प्रदेश के 20 प्रतिशत आंगनबाड़ी केन्द्रों में चकानुकम में प्रतिवर्ष
3	प्री-स्कूल किट भारत शासन के प्रावधान अनुसार	3000/- रु. प्रति आंगनबाड़ी केन्द्र	प्रदेश के समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों में प्रतिवर्ष
4	वजन मशीन भारत शासन के प्रावधान अनुसार	5000/- रु. प्रति आंगनबाड़ी केन्द्र	प्रदेश के 15 प्रतिशत आंगनबाड़ी केन्द्रों में चकानुकम में प्रतिवर्ष
5	आंगनबाड़ी केन्द्रों का उन्वयन भारत शासन के प्रावधान अनुसार	वित्तीय वर्ष 2014-15 में किये गये प्रावधान के अनुसार 66000/- रु. प्रति आंगनबाड़ी केन्द्र	प्रदेश के 2144 आंगनबाड़ी केन्द्रों में
6	आंगनबाड़ी केन्द्रों में आंतरिक साज-सज्जा (मॉडल आंगनबाड़ी केन्द्र) राज्य शासन के प्रावधान अनुसार	10000/- रु. प्रति आंगनबाड़ी केन्द्र	वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रदेश के 1850 एवं वर्ष 2014-15 में 3000 तथा वर्ष 2015-16 में 3300 आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु

## प्रपत्र "ब"

विधान सभा क्षेत्र का नाम	वित्तीय वर्ष 2013-14				क्र.	वित्तीय वर्ष 2014-15			अभ्युक्ति
	आंगनवाड़ी केन्द्रों हेतु कय सामग्री					आंगनवाड़ी केन्द्रों हेतु कय सामग्री			
	सामग्री का नाम	प्रति आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए सामग्री की मात्रा	आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या जिन्हें सामग्री प्रदाय किया गया			सामग्री का नाम	प्रति आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए सामग्री की मात्रा	आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या जिन्हें सामग्री प्रदाय किया गया	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	डौण्डीलोहारा	कूकर 12 लीटर	1 नग	138	1	प्लेन स्टील बेंच	1 नग	156	
2		केबिनेट प्लेन मिनी साईज	1 नग	138	2	कूकर 6 लीटर	1 नग	157	
3		अनाज कोठी	1 नग	138	3	मिनी केबिनेट आलमीरा	1 नग	156	
4		एगल ऑयरन रैक	1 नग	138	4	टेबल	1 नग	154	
5		कूकर 6 लीटर	1 नग	179	5	स्टील स्टूल	1 नग	154	
6		थाली	20 नग	138	6	ऑयरन रैक	1 नग	154	
7		चम्मच	20 नग	138	7	ब्लैक बोर्ड	1 नग	154	
8		प्लेन स्टील बेंच	4 नग	179	8	इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीन	1 नग	97	
9		गिलास	10 नग	210	9	प्लास्टिक मोल्डेड बेबी चेयर	28 नग	29	
10		भगोना	1 नग	210	10	प्लास्टिक मोल्डेड सेन्टर टेबल	7 नग	29	
11		स्टील बेंच विथ बैक रेस्ट	1 नग	138	11	टाटपट्टी 20 फीट	2 नग	0	कय आदेश संबंधित संस्था को 157 केन्द्रों हेतु दिया गया है। सामग्री अतिशीघ्र केन्द्रों में पहुंचा दिया जावेगा। निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है।
12		सी साँ	1 नग	563	12	व्हाइट बोर्ड	1 नग	0	फर्मा को कय आदेश 29 आंगनवाड़ी केन्द्रों हेतु दिया गया है। सामग्री अतिशीघ्र केन्द्रों में पहुंचा दिया जावेगा। निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है।
12		इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीन	1 नग	107	13	ग्लास डोर केबिनेट	2 नग	0	
14		प्री-स्कूल कीट	1 नग	563	14	आयरन रैक	1 नग	0	
15		दरी	1 नग	226	15	झुला	1 नग	0	
					16	फिसल पट्टी	1 नग	0	
					17	टीन पेट्टी	1 नग	0	
					18	नर्सरी राईटिंग टेबल	5 नग	38	
					19	दरी	2 नग	0	कय आदेश संबंधित संस्था को 38 केन्द्रों हेतु दिया गया है। सामग्री अतिशीघ्र केन्द्रों में पहुंचा दिया जावेगा। निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

- टीप- 1. वित्तीय वर्ष 2015-16 में आंगनवाड़ी केन्द्रों हेतु कय सामग्री की जानकारी निरंक है।  
2. सामग्री की उपलब्धता तथा परिशिष्ट "अ" में वर्णित प्रावधान अनुसार सामग्रीवार केन्द्रों की आवश्यकता का आंकलन कर आगामी वर्षों में सामग्री प्रदाय की जावेगी।

## परिशिष्ट "चार"

[ प्रश्न संख्या 04 (क्र. 267) के भाग (क) की जानकारी ]

प्रदेश में संचालित उ. प्रा. शाला/माध्य. शालाएं (हाईस्कूल) एवं विद्युतविहीन शालाएं

स. क्र.	जिले का नाम	स्कूल संख्या		विद्युतविहीन शाला	
		उ.प्रा.शाला	मा.शा.	उ.प्रा.शाला	मा.शा.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	धमतरी	440	54	18	0
2.	बीजापुर	138	11	137	0
3.	बालोद	409	46	3	0
4.	बस्तर	646	60	308	2
5.	बेमेतरा	388	69	5	0
6.	बलौदा बाजार	638	85	141	1
7.	कबीरधाम	489	74	88	0
8.	कांकेर	578	119	100	0
9.	कोण्डागांव	601	68	317	1
10.	कोरिया	305	14	93	3
11.	कोरबा	524	91	211	0
12.	महासमुंद	490	62	16	0
13.	मुंगेली	284	74	67	0
14.	बिलासपुर	789	144	137	15
15.	रायपुर	462	52	16	3
16.	रायगढ़	926	102	0	0
17.	रामानुजगंज	544	60	470	0
18.	राजनांदगांव	786	118	97	13
19.	सुकमा	172	21	150	0
20.	सूरजपुर	559	66	416	0
21.	दुर्ग	341	35	0	0
22.	दन्तेवाड़ा	237	21	138	0
23.	जशपुर	467	72	162	2
24.	जांजगीर-चांपा	775	123	187	76
25.	नारायणपुर	136	12	85	0
26.	अम्बिकापुर	562	73	358	1
27.	गरियाबन्द	470	74	96	0
	योग	13156	1800	3816	117

## परिशिष्ट "पांच"

[ प्रश्न संख्या 06 (क्रमांक 387) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी ]

## प्रपत्र "अ"

प्रदेश में संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित होने वाले महोत्सव

क्र.	महोत्सव का नाम	आयोजन माह	आयोजन स्थल	संबंधित विभाग
1	बिलासा महोत्सव	फरवरी	बिलासपुर	संस्कृति
2	जाज्वलयदेव लोक महोत्सव	फरवरी	जांजगीर, जांजगीर-चांपा	संस्कृति
3	शिवरीनारायण महोत्सव	फरवरी	जांजगीर-चांपा	संस्कृति
4	सिरपुर महोत्सव	फरवरी	सिरपुर, महासमुंद	संस्कृति
5	ताला महोत्सव	फरवरी	अमेरीकला बिलासपुर	संस्कृति
6	रतनपुर महोत्सव	सितम्बर	रतनपुर, बिलासपुर	संस्कृति
7	कुदरगढ़ महोत्सव	जुलाई	कुदरगढ़, सरगुजा	संस्कृति
8	जगन्नाथ मंदिर रथ यात्रा महोत्सव	जुलाई	रायपुर	संस्कृति
9	कुरुद दशहरा उत्सव	अक्टूबर	कुरुद, धमतरी	संस्कृति
10	देवबलौदा महोत्सव	मार्च	देवबलौदा, दुर्ग	संस्कृति
11	सार्वजनिक दशहरा उत्सव	अक्टूबर	रायपुर	संस्कृति
12	सार्वजनिक दशहरा महोत्सव	अक्टूबर	रायपुर	संस्कृति
13	खैरागढ़ महोत्सव	फरवरी	खैरागढ़, राजनांदगांव	संस्कृति
14	रामगढ़ महोत्सव	जून	उदयपुर, सरगुजा	संस्कृति
15	मल्हार महोत्सव	जून	मल्हार, बिलासपुर	संस्कृति
16	चक्रधर समारोह	अगस्त-सितम्बर	रायगढ़	संस्कृति
17	भोजली महोत्सव	अगस्त	बिलासपुर	संस्कृति
18	गढ़िया महोत्सव	अक्टूबर	कांकेर	संस्कृति
19	बैरिस्टर डा. छेदीलाल स्मृति समारोह	सितम्बर	जांजगीर-चांपा	संस्कृति
20	संक्रांति परब तातापानी	जनवरी	बलरामपुर-रामानुजगंज	संस्कृति
21	भोरमदेव महोत्सव	मार्च-अप्रैल	भोरमदेव, कबीरधाम	संस्कृति

## प्रपत्र "ब"

## प्रदेश में पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित होने वाले महोत्सव

क्र. (1)	मेला/महोत्सव का नाम (2)	वर्ष (3)	आयोजक संस्था का नाम (4)	संबंधित विभाग (5)
01.	नगपुरा महोत्सव	2006-07	कलेक्टर दुर्ग	पर्यटन विभाग
02.	मल्हार महोत्सव	2006-07	कलेक्टर बिलासपुर	पर्यटन विभाग
03.	सिरपुर महोत्सव	2006-07	कलेक्टर महासमुंद	पर्यटन विभाग
04.	लक्ष्मणेश्वर महोत्सव खरौद	2006-07	कलेक्टर जांजगीर चांपा	पर्यटन विभाग
05.	बस्तर लोकोत्सव हेतु अनुदान	2006-07	कलेक्टर बस्तर	पर्यटन विभाग
06.	बस्तर दशहरा लोकोत्सव	2006-07	कलेक्टर बस्तर	पर्यटन विभाग
07.	गढघनोरा, केशकाल जिला बस्तर में मेला आयोजन हेतु.	2006-07	कलेक्टर बस्तर	पर्यटन विभाग
08.	मल्हार महोत्सव	2007-08	कलेक्टर बिलासपुर	पर्यटन विभाग
09.	ताला महोत्सव	2007-08	कलेक्टर बिलासपुर	पर्यटन विभाग
10.	रतनपुर महोत्सव	2007-08	कलेक्टर बिलासपुर	पर्यटन विभाग
11.	मल्हार महोत्सव	2007-08	कलेक्टर बिलासपुर	पर्यटन विभाग
12.	सिरपुर महोत्सव	2007-08	कलेक्टर महासमुंद	पर्यटन विभाग
13.	दंतेवाड़ा फागुन मेला मई, 21 फरवरी से 02 मार्च 2007 के लिए.	2007-08	कलेक्टर दंतेवाड़ा	पर्यटन विभाग
14.	श्री राम नवमी मेला, महेड़ 27-31 मार्च 07 (जिला दंतेवाड़ा) के आयोजन हेतु.	2007-08	कलेक्टर दंतेवाड़ा	पर्यटन विभाग
15.	बस्तर दशहरा लोकोत्सव	2007-08	कलेक्टर बस्तर	पर्यटन विभाग
17.	भोरमदेव महोत्सव	2008-09	कलेक्टर कबीरधाम	पर्यटन विभाग
18.	नारायणपुर मावली मेला	2008-09	कलेक्टर नारायणपुर	पर्यटन विभाग
21.	चित्रकोट महोत्सव-2011 हेतु राशि आबंटन	2010-11	जिला कलेक्टर, बस्तर	पर्यटन विभाग
22.	कलार समाज-2011 हेतु राशि आबंटन	2010-11	जिला कलेक्टर, बालोद	पर्यटन विभाग
24.	बस्तर दशहरा लोकोत्सव	2011-12	कलेक्टर बस्तर	पर्यटन विभाग
25.	राज्योत्सव-2011 जिला कबीरधाम हेतु राशि आबंटन.	2011-12	जिला कलेक्टर, कबीरधाम	पर्यटन विभाग
26.	राज्योत्सव-2011 जिला जशपुर हेतु राशि आबंटन.	2011-12	जिला कलेक्टर, जशपुर	पर्यटन विभाग
27.	मैनपाट महोत्सव-2011-12 में राशि आबंटन	2011-12	जिला कलेक्टर, सरगुजा	पर्यटन विभाग
28.	सुआ महोत्सव-2012 के आयोजन हेतु राशि आबंटन.	2011-12	जिला कलेक्टर, दुर्ग	पर्यटन विभाग
29.	कलार समाज-2012 हेतु राशि आबंटन	2011-12	जिला कलेक्टर, बालोद	पर्यटन विभाग
30.	मावली मेला 2012 के आयोजन हेतु राशि आबंटन.	2011-12	जिला कलेक्टर, नारायणपुर	पर्यटन विभाग
31.	शिवनाथ महोत्सव-2012 के आयोजन में राशि आबंटन.	2011-12	जिला कलेक्टर, दुर्ग	पर्यटन विभाग
32.	चित्रकोट महोत्सव 2012 के आयोजन हेतु राशि आबंटन	2011-12	जिला कलेक्टर, बस्तर	पर्यटन विभाग
33.	दंतेवाड़ा फागुन मेला 2012	2011-12	जिला कलेक्टर, दक्षिण बस्तर, बस्तर	पर्यटन विभाग
34.	भोरमदेव महोत्सव 2012 आयोजन हेतु राशि आबंटन.	2011-12	जिला कलेक्टर, कबीरधाम	पर्यटन विभाग

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
35.	दामाखेड़ा में कबीर संत समागम समारोह का आयोजन की (माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा)	2011-12	कलेक्टर बलीदाबाजार	पर्यटन विभाग
36.	बारसूर महोत्सव 2012	2012-13	कलेक्टर दंतेवाड़ा	पर्यटन विभाग
37.	बस्तर दशहरा लोकोत्सव	2012-13	कलेक्टर बस्तर	पर्यटन विभाग
38.	नारायणपुर मावली मेला	2012-13	कलेक्टर नारायणपुर	पर्यटन विभाग
39.	दामाखेड़ा में कबीर संत समागम समारोह का आयोजन की (माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा)	2012-13	कलेक्टर बलीदाबाजार	पर्यटन विभाग
40.	सिरपुर महोत्सव-2013 हेतु राशि आबंटन बाबत्.	2012-13	जिला कलेक्टर, महासमुंद	पर्यटन विभाग
41.	मैनपाट महोत्सव-2013 हेतु राशि आबंटन बाबत्.	2012-13	जिला कलेक्टर, सरगुजा	पर्यटन विभाग
42.	सुवा महोत्सव-2013 हेतु राशि आबंटन बाबत्.	2012-13	जिला कलेक्टर, दुर्ग	पर्यटन विभाग
43.	बारसूर महोत्सव-2013 हेतु राशि आबंटन बाबत्.	2012-13	जिला कलेक्टर दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा.	पर्यटन विभाग
44.	सिरपुर राष्ट्रीय नृत्य एवं संगीत महोत्सव-2013.	2012-13	छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल	पर्यटन विभाग
45.	कलार समाज-2013 हेतु राशि आबंटन	2012-13	जिला कलेक्टर, बालोद	पर्यटन विभाग
46.	खैरागढ़ महोत्सव-2013 हेतु राशि आबंटन बाबत्.	2012-13	इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़.	पर्यटन विभाग
47.	शिवनाथ महोत्सव-2013 हेतु राशि आबंटन बाबत्.	2012-13	जिला कलेक्टर, दुर्ग	पर्यटन विभाग
48.	चित्रकोट महोत्सव-2013 हेतु राशि आबंटन बाबत्.	2012-13	जिला कलेक्टर, बस्तर	पर्यटन विभाग
49.	मावली मेला-2013 हेतु राशि आबंटन बाबत्.	2012-13	जिला कलेक्टर, नारायणपुर	पर्यटन विभाग
50.	कैलाश गुफा धाम श्रावणी मेला हेतु राशि आबंटन.	2013-14	जिला प्रशासन, जशपुर नगर	पर्यटन विभाग
51.	29वां चक्रधर समारोह-2013 हेतु राशि आबंटन.	2013-14	जिला प्रशासन, रायगढ़	पर्यटन विभाग
52.	बारसूर महोत्सव-2014 हेतु राशि आबंटन बाबत्.	2013-14	नगर पंचायत, बारसूर द्वारा जिला कलेक्टर.	पर्यटन विभाग
53.	सिरपुर महोत्सव-2015 हेतु राशि आबंटन	2013-14	जिला कलेक्टर, महासमुंद	पर्यटन विभाग
54.	कलार समाज मेला-2014 हेतु राशि आबंटन.	2013-14	जिला कलेक्टर, बालोद	पर्यटन विभाग
55.	शिवरीनारायण महोत्सव 2014	2013-14	जिला कलेक्टर जांजगीर-चांपा	पर्यटन विभाग
56.	गौरैया धाम चौरैल महोत्सव 2014	2013-14	जिला कलेक्टर, बालोद	पर्यटन विभाग
57.	चित्रकोट महोत्सव 2014	2013-14	जिला कलेक्टर बस्तर	पर्यटन विभाग
58.	सिरपुर राष्ट्रीय नृत्य एवं संगीत महोत्सव-2014	2013-14	छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल	पर्यटन विभाग
59.	भोरमदेव महोत्सव-2014	2013-14	जिला प्रशासन, कबीरधाम	पर्यटन विभाग
60.	बस्तर महोत्सव-2014-15	2014-15	कलेक्टर, जिला-बस्तर	पर्यटन विभाग
61.	बारसूर महोत्सव-2015	2014-15	कलेक्टर, जिला-दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा.	पर्यटन विभाग
62.	सिरपुर राष्ट्रीय नृत्य एवं संगीत महोत्सव-2015	2014-15	छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल	पर्यटन विभाग
63.	सिरपुर महोत्सव-2015	2014-15	कलेक्टर, जिला-महासमुंद	पर्यटन विभाग

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
64.	मैनपाट कार्निवाल-2015	2014-15	कलेक्टर, जिला-सरगुजा	पर्यटन विभाग
65.	भोरमदेव महोत्सव-2015	2014-15	कलेक्टर, जिला-कबीरधाम	पर्यटन विभाग

## प्रपत्र 'स'

महोत्सव हेतु संस्कृति विभाग द्वारा वर्ष 2014-2015 में स्वीकृत की गई राशि की जानकारी

क्र.	महोत्सव का नाम	स्वीकृत राशि (लाख रु. में)
(1)	(2)	(3)
1.	रामगढ़ महोत्सव, उदयपुर, सरगुजा	18.50
2.	मल्हार महोत्सव, मल्हार, बिलासपुर	5.00
3.	चक्रधर समारोह, रायगढ़	30.00
4.	भोजली महोत्सव, बिलासपुर	2.00
5.	गढ़िया महोत्सव, कांकेर	5.00
6.	बैरिस्टर डा. छेदीलाल स्मृति समारोह, जांजगीर-चांपा	9.14
7.	संक्रांति परब तातापानी, बलरामपुर-रामानुजगंज	5.00
8.	भोरमदेव महोत्सव, भोरमदेव, कबीरधाम (कवर्धा)	10.00
9.	बिलासा महोत्सव, बिलासा-बिलासपुर	3.00
10.	नगर दशहरा उत्सव, कुरुद, जिला धमतरी	2.00
11.	जगन्नाथ मंदिर रथयात्रा महोत्सव, रायपुर	2.00
12.	सार्वजनिक दशहरा उत्सव, रावणभांठा, टिकरापारा, रायपुर.	1.00

## प्रपत्र 'द'

## महोत्सव हेतु पर्यटन विभाग द्वारा वर्ष 2014-2015 में स्वीकृत की गई राशि की जानकारी

क्र.	मेला/महोत्सव का नाम	राशि रु. में
(1)	(2)	(3)
1.	बस्तर महोत्सव-2014-15	15,00,000.00
2.	बारसूर महोत्सव-2015	10,00,000.00
3.	सिरपुर राष्ट्रीय नृत्य एवं संगीत महोत्सव-2015	2,73,28,261.00
4.	सिरपुर महोत्सव-2015	5,00,000.00
5.	मैनपाट कार्निवाल-2015	5,00,000.00
6.	भोरमदेव महोत्सव-2015	10,00,000.00
7.	कलार समाज के सांस्कृतिक विकास मेला हेतु अनुदान, 2014 (माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा)	1,00,000.00

## प्रपत्र 'ई'

महोत्सव हेतु धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग द्वारा वर्ष 2014-2015 में स्वीकृत की गई राशि की जानकारी

क्र. (1)	आयोजन का नाम (2)	आबंटित राशि (3)
1.	बस्तर दशहरा पर्व हेतु आबंटन	25.00 लाख
2.	वित्तीय वर्ष 2013-2014 में राजिम कुंभ मेले में हुए आधिक्य व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु आबंटन उपलब्ध कराने.	81,88,765/-
3.	माँ बमलेश्वरी देवी मंदिर डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव के क्वार नवरात्रि पर्व 2014 एवं चैत्र नवरात्रि पर्व 2013 हेतु अनुदान.	10.00 लाख
4.	दामाखेड़ा मेला हेतु अनुदान स्वीकृति करने बाबत	15.00 लाख
5.	वित्तीय वर्ष 2014-15 में राजिम कुंभ मेला में जनसुविधायें उपलब्ध कराने हेतु अनुदान.	300.00 लाख
6.	वित्तीय वर्ष 2014-2015 में गिरौदपुरी मेला में जनसुविधायें उपलब्ध कराने हेतु अनुदान.	8,11,232/-
7.	जशपुर दशहरा पर्व हेतु अनुदान राशि स्वीकृत करने बाबत	10.00 लाख
8.	रावणभाठा दशहरा पर्व रायपुर हेतु अनुदान राशि स्वीकृत करने बाबत.	05.00 लाख
9.	ग्राम लालपुर वि.ख. लोरमी जिला मुंगेली में बाबा गुरू घासीदास जयंती के अवसर पर आयोजित मेले हेतु आर्थिक सहायता.	10.00 लाख
10.	बस्तर दशहरा पर्व के लंबित देयकों के भुगतान हेतु आबंटन स्वीकृति.	20,55,199/-

जुलाई, 2015 सत्र में प्राप्त प्रश्नों के उत्तर में संशोधन तथा प्रश्नोत्तर सूची से संबंधित शुद्धि पत्रों की सूची

क्रमांक	दिनांक	प्रश्न संख्या (क्रमांक)	विभाग का नाम	संशोधन/वक्तव्य
1	20.07.15	ता. 2 (क्र-463)	महिला एवं बाल विकास	संशोधन
2	दिनांक 20 जुलाई, 2015 की प्रश्नोत्तर सूची से संबंधित शुद्धि पत्र			
3	21.07.15	ता. 1 (क्र-207)	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	संशोधन
4	21.07.15	ता. 8 (क्र-603)	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	संशोधन
5	22.07.15	ता. 1 (क्र-388)	गृह	संशोधन
6	दिनांक 22 जुलाई, 2015 की प्रश्नोत्तर सूची से संबंधित शुद्धि पत्र			
7	23.07.15	ता. 1 (क्र-791)	स्कूल शिक्षा	संशोधन
8	23.07.15	ता. 5 (क्र-903)	स्कूल शिक्षा	संशोधन
9	23.07.15	परि अता. 17 (क्र-568)	स्कूल शिक्षा	संशोधन
10	23.07.15	परि अता.33 (क्र-909)	स्कूल शिक्षा	संशोधन
11	23.07.15	अता. 22 (क्र-499)	स्कूल शिक्षा	संशोधन
12	दिनांक 23 जुलाई, 2015 की प्रश्नोत्तर सूची से संबंधित शुद्धि पत्र			
13	24.07.15	अता. 25 (क्र-692)	उच्च शिक्षा	संशोधन
14	दिनांक 24 जुलाई, 2015 की प्रश्नोत्तर सूची से संबंधित शुद्धि पत्र			

## प्रश्नों में संशोधन पढ़ने का प्रारूप

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक 20 जुलाई, 2015 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक 01 में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या 02 (क्रमांक 463) में, मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहती हूँ :-

1. प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर के भाग 'क' से संबंधित परिशिष्ट "दो" प्रपत्र "अ" एवं "स" के स्तंभ 6 में शिकारीटोला-2 के सम्मुख 2013-14 अंकित है, के स्थान पर "2012-2013" संशोधित कर पढ़ा जावे.
2. प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर के भाग 'ख' से संबंधित परिशिष्ट "दो" प्रपत्र "स" के क्रमांक 4 के स्तंभ "5" में वर्ष 2015-16 अंकित है, के स्थान पर "2014-2015" संशोधित कर पढ़ा जावे.

हस्ता./-

(रमशीला साहू)

मंत्री,

महिला एवं बाल विकास विभाग.

**छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय****शुद्धि-पत्र**

दिनांक 20 जुलाई, 2015 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित निम्नलिखित अशुद्धियों को शुद्ध करके पढ़ा जावे :-

प्रश्न संख्या एवं क्रमांक	अशुद्ध	शुद्ध
<b>तारांकित प्रश्नोत्तर</b>		
ता.प्र.सं. 1 (क्र. 426) प्रश्न (ख)	कौन-कौन अधिकारी उपस्थित थे ?	कौन-कौन उपस्थित थे ?
ता.प्र.सं. 10 (क्र. 422) प्रश्न (क)	जनवरी 2015 तक	वित्तीय वर्ष 2014-15 से जून, 2015 तक
ता.प्र.सं. 11 (क्र. 409) उत्तर (ग)	विभाग के अधिकारियों को	विभाग के अधिकारियों को
<b>नियम 46 (2) के अंतर्गत परिवर्तित अतारांकित प्रश्नोत्तर</b>		
परि.अता.प्र.सं. 01 (क्र. 08) उत्तर (क)	22-06-2015 तक 9,965	22-06-2015 तक 9,967
परि.अता.प्र.सं. 04 (क्र. 205) उत्तर (क)	उत्पादित बिजली की क्रय	उत्पादित बिजली की क्रय
<b>अतारांकित प्रश्नोत्तर</b>		
अता.प्र.सं. 21 (क्र. 283) उत्तर (क)	सम्मति की अवाधि समाप्त	सम्मति की अवधि समाप्त
अता.प्र.सं. 32 (क्र. 373) प्रश्न (ग)	पंजीयन की कार्यवाही की	पंजीयन की कार्यवाही की
<b>तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट</b>		
दिनांक 20 जुलाई, 2015 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक 60 में अंकित तालिका के ऊपर मुद्रित - "परिशिष्ट-ग्यारह, तारांकित प्रश्न संख्या-23 (क्र-418) के भाग (ख) की जानकारी" को विलोपित कर पढ़ा जावे।		
दिनांक 20 जुलाई, 2015 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक 61 में अंकित तालिका के शीर्षक के ऊपर निम्नांकित जानकारी - "परिशिष्ट-ग्यारह, तारांकित प्रश्न संख्या-23 (क्र-418) के भाग (ख) की जानकारी" को जोड़ कर पढ़ा जावे।		
दिनांक 20 जुलाई, 2015 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या-7 (क्र-301) का पुनरीक्षित उत्तर पढ़ा जावे।		

स्थान : विधान सभा भवन,  
रायपुर

देवेन्द्र वर्मा  
प्रमुख सचिव

दिनांक : 19 जुलाई, 2015

छत्तीसगढ़ विधान सभा

**प्रश्नों में संशोधन पढ़ने का प्रारूप**

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक 21 जुलाई, 2015 की प्रश्नोत्तरी सूची के पृष्ठ क्रमांक 01 के मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या 01 (तारांकित प्रश्न क्रमांक-207) में,

में निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूँ :-

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर के भाग "ख" में संलग्न "परिशिष्ट-एक" के स्थान पर "संशोधित परिशिष्ट-एक" पढ़ा जावे।

हस्ता./-

(अजय चन्द्राकर)

मंत्री,

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग.

## " संशोधित परिशिष्ट-एक"

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 207 द्वारा माननीय सदस्य श्री अमित अजीत  
जोगी

विधानसभा क्षेत्र मरवाही में महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत वर्ष 2015-16 में स्वीकृति  
प्रदान किये गये कार्यों की जानकारी

क्र.	कार्य का नाम	कार्य की संख्या
1	2	3
1	कुंआ निर्माण कार्य	159
2	भूमि समतलीकरण कार्य	666
3	डबरी निर्माण कार्य	113
4	नहर मरम्मत कार्य	7
5	नाली निर्माण कार्य	47
6	पुलिया निर्माण	71
7	मिट्टी मुरुम सड़क निर्माण कार्य	7
8	तालाब गहरीकरण एवं पीचिंग कार्य	214
9	वृक्षारोपण कार्य	9
10	स्टापडेम निर्माण कार्य	1
11	पौधा तैयारी कार्य	26
12	नाडेप टंकी निर्माण कार्य	3
13	दुधारू पशु हेतु पक्का प्लेटफार्म निर्माण कार्य	3
14	निजी शौचालय निर्माण कार्य	620
योग-		1946

## प्रश्नों में संशोधन पढ़ने का प्रारूप

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक 21 जुलाई, 2015 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक 02 में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या 08 (तारांकित प्रश्न क्रमांक-603) में, मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूँ :-

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर से संबंधित "परिशिष्ट-चार" के स्थान पर संलग्न "संशोधित परिशिष्ट-एक" पढ़ा जावें.

हस्ता./-

(अजय चन्द्राकर)

मंत्री,

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग.

## संशोधित

परिशिष्ट "एक"

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक-603 द्वारा श्री अवधेश सिंह चंदेल, सदस्य विधानसभा  
प्रश्नांश "क" की जानकारी

क.	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायतों को मूलभूत कार्यों के लिए अनुदान मद के अंतर्गत आबंटित राशि (रूपये में)		
		2013-14	2014-15	2015-16
1	2	3	4	5
1	अमोरा	164747	173047	75575
2	बहेरा	234320	249247	98856
3	बहेरा (कुसमी)	176449	186965	77891
4	बहिगा	152724	159954	70785
5	बैजलपुर	220197	227935	83977
6	बसनी	152797	124701	47151
7	बीजाभाट	223930	244562	87903
8	चोरभट्टी	222497	243422	81739
9	डुडा	187225	195178	72199
10	फरी	164760	166934	73377
11	गांगपुर	187570	196852	77617
12	हथमुड़ी	167559	180736	94577
13	जेवरा	170612	174847	70707
14	जेवरी	203756	207588	88609
15	जिया	166604	174912	71100
16	कंतेली	166226	173072	68194
17	खिलौरा	128476	123168	57123
18	कुसमी	201382	227958	103646
19	लोलेसरा	296242	242717	78677
20	मटका	139270	150061	66742
21	बाबा मोहतरा	176460	190292	87471
22	भोईनभाटा	171875	172962	72748
23	नवागांव	143195	201001	79972
24	निनवा	173268	180721	77263
25	पथर्रा	197104	171926	56573
26	पिपरभट्टा	183512	193033	86332
27	रजकुड़ी	218535	239713	92771
28	सिरवाबांधा	173390	179809	73141
29	बैजी(नया पंचायत)	-	57504	53864

क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायतों को मूलभूत कार्यों के लिए अनुदान मद के अंतर्गत आबंटित राशि (रूपये में)		
		2013-14	2014-15	2015-16
1	2	3	4	5
30	जौंग (नया पंचायत)	-	39838	39142
31	ताला(नया पंचायत)	-	44201	55553
32	अकोली	189718	187878	92182
33	आनंदगांव	279292	281622	105923
34	अतरगढ़ी	234951	195425	51980
35	बहिगा	123795	127322	56887
36	बारगांव	495524	536080	201050
37	बासा	179568	177118	74240
38	बहेरा	203272	211545	108122
39	बेरलाकला	127419	125517	57790
40	भालेसर	288023	246193	83977
41	भांड	255928	268867	79266
42	भरचट्टी	180668	190597	74123
43	भरदा	217137	172940	51430
44	भटगांव	162942	130426	41144
45	भेड़नी	206084	221692	62698
46	भिलौरी	158147	167782	73730
47	भिभौरी	406164	395307	176355
48	बोरिया	167752	169866	63719
49	बोरसी	161457	160492	65485
50	चंडी	216124	199315	75300
51	चेदुवा	184636	199966	81268
52	चोंगीखपरी	145020	155232	66820
53	डगनिया (ब)	175010	132379	39888
54	डगनिया (क)	157991	170703	70903
55	देवादा	202719	201145	86372
56	देवरबीजा	219408	218372	99838
57	देवरी	207594	220436	84998
58	ढाबा	197988	162731	55003
59	गाड़ामोर	247537	189944	39103
60	गनियारी	325183	299721	54807
61	घटियाकला	147984	149065	75497
62	घोटमर्दा	192902	192916	99563
63	गोड़गिरी	216866	159416	41733

क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायतों को मूलभूत कार्यों के लिए अनुदान मद के अंतर्गत आबंटित राशि (रूपये में)		
		2013-14	2014-15	2015-16
1	2	3	4	5
64	गुधेली	292661	286498	122844
65	हरदी	185412	181201	73455
66	हसदा	270882	264045	111537
67	हथपान	176323	181371	80247
68	जामगांव	198837	170982	46209
69	जमघट	252115	189972	42675
70	कडरका	182393	136315	61599
71	कठिया	254417	261514	116052
72	केसडबरी	175334	184954	74319
73	खम्हरिया	225139	220711	86097
74	खर्वा	311798	243347	90494
75	खिसौरा	113087	116175	55278
76	खुडमुड़ा	267509	230361	74868
77	खुडमुड़ी	179351	178533	76792
78	किरीतपुर	168844	175782	69725
79	कोदवा	207302	225261	107768
80	कोहड़िया	187256	168795	68234
81	कुम्हीगुड़ा	169675	172024	65054
82	कुरुद	180821	184701	71296
83	कुसमी	460865	498130	189821
84	लावातरा	190782	206321	79266
85	लेंजवारा	260014	263685	112715
86	मोहभट्टा	315311	351777	111537
87	नेवनारा	170622	166011	65407
88	पांहदा	203032	216619	102821
89	परपोड़ा	301407	316725	114364
90	पतौरा	283743	232203	69568
91	पिरदा	226814	217407	89826
92	रांका	310904	314767	132109
93	रवेली	208616	174470	53472
94	रेवे	192873	198587	78598
95	सल्धा	306800	330001	93203
96	संडी	215677	221958	58536

क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायतों को मूलभूत कार्यों के लिए अनुदान मद के अंतर्गत आबंटित राशि (रूपये में)		
		2013-14	2014-15	2015-16
1	2	3	4	5
97	सांकरा	224248	224359	92496
98	सरदा	241220	249014	107650
99	सिलघट	217432	221038	90808
100	सिंघौरी	210467	217321	90965
101	सिंवार	301006	227489	52412
102	सोढ़	335410	338345	147970
103	सुरजपुरा	158354	169535	74123
104	सुरहोली	183743	179256	65799
105	ताकम	194478	208878	77146
106	टकसीवा	183758	198969	89591
107	तारालीम	176285	175665	74829
108	तेलगा	183534	182927	66388
109	तिलई	135966	131134	56691
110	उफरा	162903	154040	56927
111	आंदू (नया पंचायत)	-	44469	43382
112	बहेरघट(नया पंचायत)	-	45801	39064
113	बावनलाख(नया पंचायत)	-	45057	36904
114	बेलौदीकला(नया पंचायत)	-	69734	55906
115	भाठासोरही(नया पंचायत)	-	86143	63208
116	खम्हरिया(नया पंचायत)	-	68231	58419
117	खमतरई (नया पंचायत)	-	47818	43225
118	खंगारपाट(नया पंचायत)	-	52906	46209
119	कम्ही (नया पंचायत)	-	55417	48957
120	लावातरा(नया पंचायत)	-	69941	56142
121	मुडपारकला(नया पंचायत)	-	47177	41262
122	सिलघट(नया पंचायत)	-	65184	51823
123	सिंगदेही (नया पंचायत)	-	47388	41380
124	तिवरैया (नया पंचायत)	-	47951	46915
125	बिरोदा	175749	170786	69237
126	दारगांव	240384	252016	106891
127	गोता	167439	167675	55213
128	खजरी	251689	236767	71965
129	माटरा	240451	211903	60131
130	मोहलई	175072	174166	75000

क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायतों को मूलभूत कार्यों के लिए अनुदान मद के अंतर्गत आबंटित राशि (रूपये में)		
		2013-14	2014-15	2015-16
1	2	3	4	5
131	मोहरेंगा	245758	245462	100282
132	पेन्ड्रीतराई	174750	153591	42303
133	तरकोरी	215570	192989	53714
134	ठेंगाभाठ	146341	141427	52677
135	धौराभाठा	-	39098	48066
136	कंदई	-	46974	57749
137	हरदी	-	33316	40958

प्रश्नों में संशोधन पढ़ने का प्रारूप

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक 22.07.2015 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक.....1.....में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या 01 (क्रमांक-388) में मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूँ :-


प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर के भाग (घ) में अंकित "केन्द्र से भेजी गई फोर्स पर राज्य शासन द्वारा निम्नांकित मदों पर प्रतिपूर्ति योग्य व्यय किया जाता है:-"

स0क0	योजना क्रमांक	मद का नाम
01	6717-प्रतिपूर्ति योग्य सुरक्षा संबंध व्यय	04-कार्यालय व्यय 002 दूरभाष पर व्यय
02		04-कार्यालय व्यय 005 बिजली एवं जलप्रभार
03		04-कार्यालय व्यय 011 पेट्रोल तेल आदि
04		04-कार्यालय व्यय 013 किराया महसूलकर
05		10- व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां-010-सुरक्षा व्यय.
06		25-सामग्री और पूर्तियां-002 मृत स्कंध
07		25-सामग्री और पूर्तियां-005 राशन व्यय
08		25-सामग्री और पूर्तियां-006 अन्य व्यय
09		27-लघु निर्माण कार्य-006-अन्य लघु निर्माण कार्य
10		28-मशीन और उपकरण-006-अन्य
11	7244-सामूहिक बीमा	14-सहायक अनुदान 012-अन्य अनुदान

के स्थान पर कृपया निम्नानुसार संशोधित कर पढ़ा जावे :-

"केन्द्र से भेजी गई फोर्स पर राज्य शासन द्वारा वर्ष 2014-15 में निम्नांकित मदों पर प्रतिपूर्ति योग्य व्यय किया गया है :-"

स0क0	योजना क्रमांक	मद का नाम
01	6717-प्रतिपूर्ति योग्य सुरक्षा संबंधी व्यय	04-कार्यालय व्यय-002 दूरभाष पर व्यय
02		04-कार्यालय व्यय-005 बिजली एवं जलप्रभार
03		04-कार्यालय व्यय-008 अन्य आकस्मिक व्यय
04		04-कार्यालय व्यय-011 पेट्रोल तेल आदि
05		04-कार्यालय व्यय-013 किराया महसूलकर
06		10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां-010-सुरक्षा व्यय
07		14-सहायक अनुदान-012 अन्य अनुदान
08		25-सामग्री और पूर्तियां-002-मृत स्कंध
09		25-सामग्री और पूर्तियां-006-अन्य व्यय
10		27-लघु निर्माण कार्य-006-अन्य लघु निर्माण कार्य
11		28-मशीन और उपकरण-006-अन्य
12	7244-बीमा विकल्प अनुदान	14-सहायक अनुदान-012-अन्य अनुदान

  
(रामसेवक पैकरा)  
मंत्री, गृह

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालयशुद्धि-पत्र

दिनांक 22 जुलाई, 2015 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित निम्नलिखित अशुद्धियों को शुद्ध करके पढ़ा जावे :-

प्रश्न संख्या एवं क्रमांक	अशुद्ध	शुद्ध
तारांकित प्रश्नोत्तर		
ता.प्र.सं. 01 (क्र. 388) उत्तर	किया गया है. केन्द्र से भेजी	किया गया है. (घ) केन्द्र से भेजी
ता.प्र.सं. 23 (क्र. 270) उत्तर (ख)	एस्सार से कोई राशि प्राप्त	एस्सार से कोई राशि प्राप्त

स्थान : विधान सभा भवन,  
रायपुर

दिनांक : 21 जुलाई, 2015

देवेन्द्र वर्मा  
प्रमुख सचिव  
छत्तीसगढ़ विधान सभा


प्रश्नों में संशोधन पढ़ने का प्रारूप

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक 23 जुलाई, 2015 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक 41 में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या 01 (क्रमांक 791) के भाग (क) परिशिष्ट "एक" में, मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूँ :-

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित परिशिष्ट "एक" के कॉलम 5 एवं 6 में "बन्द" शब्द के स्थान पर :-

"युक्तियुक्तकृत" पढ़ा जावे ।

  
(केदार कश्यप)

मंत्री,

आदिम जाति, अनुसूचित जाति विकास,  
अल्पसंख्यक कल्याण तथा  
अन्य पिछड़ा वर्ग, स्कूल शिक्षा.

## प्रश्नों में संशोधन पढ़ने का प्रारूप

माननीय अध्यक्ष महोदय,


आज दिनांक 23 जुलाई, 2015 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक 2 में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या 5 (क्रमांक 903) में, मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूँ :-

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर भाग (ग) में "2918 स्कूलों को युक्तियुक्तकरण के तहत बंद किया गया है. बंद किये गए,"

के स्थान पर :-

(ग) "2918 स्कूलों को युक्तियुक्तकृत किया गया है. युक्तियुक्तकृत किये गए,"

पढ़ा जावे ।

  
(केदार कश्यप)

मंत्री,

आदिम जाति, अनुसूचित जाति विकास,  
अल्पसंख्यक कल्याण तथा  
अन्य पिछड़ा वर्ग, स्कूल शिक्षा.

## प्रश्नों में संशोधन पढ़ने का प्रारूप

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक 23 जुलाई, 2015 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक 14 में मुद्रित परि. अतारांकित प्रश्न संख्या 17 (क्रमांक 568) में, मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूँ :-

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर भाग (ख) में “120 विद्यालयों को बन्द करने का निर्णय”

के स्थान पर :-

(ग) “120 विद्यालयों को युक्तियुक्तकृत करने का निर्णय”

पढ़ा जावे.

हस्ता./-

(केदार कश्यप)

मंत्री,

आदिमजाति, अनुसूचित जाति विकास,

अल्पसंख्यक कल्याण तथा

अन्य पिछड़ा वर्ग, स्कूल शिक्षा.

## प्रश्नों में संशोधन पढ़ने का प्रारूप

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक 23 जुलाई, 2015 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक 19 में मुद्रित परि. अतारांकित प्रश्न संख्या 33 (क्रमांक 909) में, मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूँ :-

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर भाग (क) में “2918 स्कूलों को बन्द करने का निर्णय”

के स्थान पर :-

(ग) “2918 स्कूलों को युक्तियुक्त करने का निर्णय”

पढ़ा जावे.

हस्ता./-

(केदार कश्यप)

मंत्री,

आदिमजाति, अनुसूचित जाति विकास,

अल्पसंख्यक कल्याण तथा

अन्य पिछड़ा वर्ग, स्कूल शिक्षा.

प्रश्नों में संशोधन पढ़ने का प्रारूप

माननीय अध्यक्ष महोदय,


आज दिनांक 23 जुलाई, 2015 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक 29 में मुद्रित अतारांकित प्रश्न संख्या 22 (क्रमांक 499) में, मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूँ :-

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर भाग (क) में "187 शालाएं बंद हुई हैं"

के स्थान पर :-

(ग) "187 शालाएं युक्तियुक्तकृत हुई हैं"

पढ़ा जावे ।

  
(केदार कश्यप)

मंत्री,

आदिम जाति, अनुसूचित जाति विकास,  
अल्पसंख्यक कल्याण तथा  
अन्य पिछड़ा वर्ग, स्कूल शिक्षा.

**छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय****शुद्धि-पत्र**

दिनांक 23 जुलाई, 2015 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित निम्नलिखित अशुद्धियों को शुद्ध करके पढ़ा जावे :-

प्रश्न संख्या एवं क्रमांक	अशुद्ध	शुद्ध
<b>नियम 46 (2) के अंतर्गत परिवर्तित अतारांकित प्रश्नोत्तर</b>		
परि.अता.प्र.सं. 31 (क्र. 895) उत्तर (ग) (3)	अनुसूचित जाति विकास	अनुसूचित जाति विकास
<b>अतारांकित प्रश्नोत्तर</b>		
अता.प्र.सं. 06 (क्र. 165) प्रश्न (क)	प्राथमिक शाल एवं उच्च प्राथमिक	प्राथमिक शाला एवं उच्च प्राथमिक
<b>तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट</b>		
ता.प्र.सं. 20 (क्र. 658)/परिशिष्ट "सात" /वर्ष 2014-15 का योग/पृ.क्र. 61	योग 2011-15	योग 2014-15
<b>परिवर्तित अतारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट</b>		
परि.अता.प्र.सं. 28 (क्र. 873)/ परिशिष्ट "इक्कीस" / प्रपत्र-"द" / कालम 4 / सरल क्र.-146 / पृ.क्र. 111	77	77
परि.अता.प्र.सं. 28 (क्र. 873)/ परिशिष्ट "इक्कीस" / प्रपत्र-"द" / कालम 5 / सरल क्र.-146 / पृ.क्र. 111	97	97
परि.अता.प्र.सं. 28 (क्र. 873)/ परिशिष्ट "इक्कीस" / प्रपत्र-"द" / कालम 6 / सरल क्र.-146 / पृ.क्र. 111	0	0
<b>अतारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट</b>		
अता.प्र.सं. 22 (क्र. 499)/परिशिष्ट "अड़तीस" / पृ.क्र. 161 की अंतिम पंक्ति	आवश्यकतानुसार स्थानांतरित किए जाएंगे	आवश्यकतानुसार स्थानांतरित किए जाएंगे। समिति द्वारा अनुमोदित उक्त
अता.प्र.सं. 57 (क्र. 985)/परिशिष्ट "छप्पन" / कालम-1 (विकासखण्ड का नाम) / पृ.क्र. 202	नरहरु	नरहरपुर

स्थान : विधान सभा भवन,  
रायपुर

दिनांक : 22 जुलाई, 2015

देवेन्द्र वर्मा  
प्रमुख सचिव  
छत्तीसगढ़ विधान सभा

### प्रश्नों में संशोधन पढ़ने का प्ररूप

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक 24, जुलाई, 2015 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक 26 में मुद्रित अतारांकित प्रश्न संख्या 25 (क्रमांक-692) में मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहते हूँ:-

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर के भाग 'क' से संबंधित परिशिष्ट- "उनचालीस" के सरल क्रमांक 10 के स्तंभ-3 "उपलब्ध संकाय" में अंकित कला, विज्ञान, वाणिज्य एवं गृहविज्ञान संकाय के स्थान पर कृपया "कला, वाणिज्य एवं गृहविज्ञान संकाय" संशोधित कर पढ़ा जावें:-

हस्ता./-

(प्रेम प्रकाश पाण्डेय)

मंत्री,

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास,  
उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं जनशक्ति  
नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग  
छत्तीसगढ़

**छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय****शुद्धि-पत्र**

दिनांक 24 जुलाई, 2015 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित निम्नलिखित अशुद्धियों को शुद्ध करके पढ़ा जावे :-

प्रश्न संख्या एवं क्रमांक	अशुद्ध	शुद्ध
<b>अतारांकित प्रश्नोत्तर</b>		
अता.प्र.सं. 24 (क्र. 668) उत्तर (ख)	सरकार से मानयता प्राप्त	सरकार से मान्यता प्राप्त
अता.प्र.सं. 61 (क्र. 1099) प्रश्न	कृपा करेंगे कि 30 मई 2015 की	कृपा करेंगे कि (क) 30 मई 2015 की
<b>तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट</b>		
ता.प्र.सं. 11 (क्र. 336)/परिशिष्ट "पांच"/शीर्षक/पृ.क्र. 47	[ तारांकित प्रश्न संख्या 11 (क्र. 366) के भाग (ख) की जानकारी ]	[ तारांकित प्रश्न संख्या 11 (क्र. 336) के भाग (ख) की जानकारी ]
<b>परिवर्तित अतारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट</b>		
परि.अता.प्र.सं. 20 (क्र.1075) से संबंधित पृ.क्र. 102 में मुद्रित परिशिष्ट "सत्ताईस" के प्रपत्र "ब" के में स्तंभ "तहसील का नाम" में "गुरुर" के सम्मुख विवादित बंटवारा के स्तंभ-वर्ष 2013 (माह जनवरी से दिसम्बर तक) के उप स्तंभ "06 माह से अधिक" में अंकित 33 के स्थान पर 33 पढ़ा जावे।		
परि.अता.प्र.सं. 20 (क्र.1075) से संबंधित पृ.क्र. 102 में मुद्रित परिशिष्ट "सत्ताईस" के प्रपत्र "ब" के में स्तंभ "तहसील का नाम" में "गुरुर" के सम्मुख विवादित बंटवारा के स्तंभ-वर्ष 2014 (माह जनवरी से दिसम्बर तक) के उप स्तंभ "06 माह से अधिक" में अंकित 17 के स्थान पर 17 पढ़ा जावे।		
परि.अता.प्र.सं. 21 (क्र. 1076)/परिशिष्ट "अट्ठाईस"/प्रपत्र "ब"/कॉलम-05/सरल क्र.-03/ पृ. क्र.-104	05/ब-121 वर्ष 2013-14 का सुनवाई हेतु मांग	05/ब-121 वर्ष 2013-14 का सुनवाई हेतु मांग
परि.अता.प्र.सं. 21 (क्र. 1076)/परिशिष्ट "अट्ठाईस"/प्रपत्र "ब"/कॉलम-05/सरल क्र.-05/ पृ. क्र.-104	साकिन कोचवाही के द्वारा ग्राम भरदा स्थित भूमि को	साकिन कोचवाही के द्वारा ग्राम भरदा स्थित भूमि को
दिनांक 23 जुलाई, 2015 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या-2 (क्र-267) का पुनरीक्षित उत्तर तथा तारांकित प्रश्न संख्या-15 (क्र-152) का पृथक वितरित उत्तर पढ़ जावे।		

स्थान : विधान सभा भवन,  
रायपुर

दिनांक : 23 जुलाई, 2015

देवेन्द्र वर्मा  
प्रमुख सचिव  
छत्तीसगढ़ विधान सभा